न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 58/2019

प्रार्थी :– ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री हरसुखराम, जातिं विश्नोई, निवासी ग्राम बीनावास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. जवरीलाल पुत्र स्व. श्री हरसुखराम
2. नेताराम पुत्र स्व. श्री हरसुखराम
3. जगदीश पुत्र स्व. श्री हरसुखराम
4. हीरादेवी पत्नी स्व. श्री हरसुखराम
   जातियान विश्नोई, निवासीगण ग्राम बीनावास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
5. सिवरीदेवी पुत्री स्व. श्री हरसुखराम पत्नी श्री महीराम, निवासी आमलियावास, ग्राम खेडी, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर राज.
6. प्रेमीदेवी पुत्री स्व. श्री हरसुखराम पत्नी श्री भंवरलाल निवासी ग्राम जालेली भोजदार, तहसील व जिला जोधपुर राज.
7. संतोकदेवी पुत्री स्व. श्री हरसुखराम पत्नी सुरजाराम निवासी जयरूपनगर ग्राम बेनण, तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर राज.
8. रूकमादेवी पुत्री स्व. श्री हरसुखराम पत्नी श्री पप्पाराम, निवासी ग्राम लाम्बा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
9. श्यामादेवी पुत्री स्व. श्री हरसुखराम पत्नी श्री जयराम निवासी ग्राम तिलवासनी, तहसील पीपाड़शहर जिला जोधपुर राज.
10. टीनादेवी पुत्री स्व. श्री हरसुखराम पत्नी श्री सुभाषराम निवासी ग्राम बावरला, तहसील व जिला जोधपुर
11. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान भारतीय स्टेट बैक शाखा बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थितिः– प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 12 सरकारी पैरोकार।
अप्रार्थी संख्या 4 से 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

:: आदेश :: **दिनांक :–** 3/09/24

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 10 का वंशावली वृक्ष प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णितानुसार है। जिसके अनुसार हरसुखराम प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

से 3 व 5 से 10 के पिता व अप्रार्थी संख्या 4 के पति थे। जिनका स्वर्गवास हो चुका है। राजस्व ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 7/3 रकबा 1.2863 हैक्टेयर आई हुई है, जिसके खाता सं. 168 है। जिसे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' से संबोधित किया गया है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 38/2 रकबा 1.9416 हैक्टेयर, खसरा संख्या 38/3 रकबा 0.8090 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 2.7506 हैक्टेयर आई हुई है, जिसके खाता सं. 566 है। जिसे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' से संबोधित किया गया है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 7 रकबा 2.1519 हैक्टेयर आई हुई है, जिसके खाता सं. 67 है। जिसे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि 'सी' से संबोधित किया गया है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 7/2 रकबा 2.1519 हैक्टेयर आई हुई है, जिसके खाता सं. 175 है। जिसे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि 'डी' से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' पूर्व में खातेदार भंवर भारती, श्रवण भारती पिता गणेश भारती कौम गुस्साई के नाम से खातेदारी दर्ज थी तथा इन सभी खातेदारान ने वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' को प्रेमदेवी पत्नी सताराम कौम जाट को बैचान की, जिससे सयुक्त परिवार की आय से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 10 तक द्वारा खरीद की तथा रजिस्ट्री प्रार्थी के पिता व माता के नाम से दर्ज चली आ रही थी तथा अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' को बाले–बाले प्रार्थी के पिता व माता से अपने नाम दर्ज करवा दी, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 को सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' अपने नाम से दर्ज करवाने का कानूनन कोई हक व अधिकार नही था। वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 10 द्वारा सयुक्त परिवार की आय से खरीदसुदा होने के कारण प्रार्थी का भी उपरोक्त खसरान की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 से 10 के बराबर कानूनन हक व हिस्सा है, यानि उपरोक्त खसरे की भूमि में प्रार्थी का 1/11 वॉ हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 से 10 तक प्रत्येक का 1/11 वॉ हिस्सा कानूनन है। इसी हक व हिस्से के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 10 का वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' पर वक्त खरीद से लेकर आज दिन तक सयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त कृषि भूमि बी पूर्व में खातेदार जयराम पिता खीयाराम जाति विश्नोई निवासी तिलवासनी के नाम से खातेदारी दर्ज थी तथा उक्त खातेदार से वादग्रस्त कृषि भूमि बी को प्रार्थी के पिता हरसुखराम द्वारा पुश्तैनी भूमि के अदला बदली में ली तथा रजिस्ट्री प्रार्थी के पिता के नाम से करवाई। इसी प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि सी पूर्व में खातेदार चन्दू भारती पुत्र देवा भारती कौम स्वामी के नाम से खातेदारी दर्ज थी तथा इन सभी खातेदारान ने वादग्रस्त कृषि भूमि सी को संयुक्त परिवार की आय से प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 10 तक द्वारा खरीद की तथा रजिस्ट्री प्रार्थी के पिता हरसुखराम के नाम से करवाई गई। वादग्रस्त कृषि भूमि डी पूर्व में खातेदार मंगबाई बेवा गुणेश भारती व अन्य कौम स्वामी के नाम से खातेदारी दर्ज थी तथा इन सभी खातेदारान ने वादग्रस्त कृषि भूमि डी को संयुक्त परिवार की आय से प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 10 तक द्वारा खरीद की तथा रजिस्ट्री

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थी की माता हीरादेवी के नाम से करवाई गई। तथा अप्रार्थी सं. 1 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि डी को बाले–बाले प्रार्थी की माता से अपने नाम दर्ज करवा दी। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 से 10 द्वारा संयुक्त परिवार की आय से खरीदसुदा होने के कारण प्रार्थी का भी उपरोक्त खसरान की भूमि में अप्रार्थी सं. 1 से 10 के बराबर कानूनन हक व हिस्सा है। यानि उपरोक्त खसरे की भूमि में प्रार्थी का 1/11 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 से 10 तक प्रत्येक का 1/11 हिस्सा कानूनन है। वादग्रस्त कृषि भूमि ए से डी प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 10 द्वारा संयुक्त परिवार की आय से खरीद करने के कारण प्रार्थी का भी अप्रार्थी सं. 1 से 10 के बराबर कानूनन हक व अधिकार निहित है यानि प्रार्थी का उक्त पदों में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि ए से डी में वादी का 1/11 वां हक व हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 1 से 10 तक प्रत्येक का 1/11 हक व हिस्सा कानूनन निहित है तथा जिसकी खातेदारी प्रार्थी अपने नाम से दर्ज करवाने का कानूनन अधिकार रखता है। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 10 प्रार्थना पत्र के पद सं. 7 से 10 में वर्णित हक व हिस्से पर मौके पर काबिज है व काश्त कर रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 10 के मध्य आपसी सहमति से मौखिक बंटवाडा हो चुका है। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्राथी व अप्रार्थीगण के मध्य आज दिन तक लिखित व विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ है व न ही राजस्व नक्शे में मुताबिक प्रार्थना पत्र के पद सं. 7 से 10 में वर्णित हिस्से के अनुसार तरमीम हुई।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। राजस्व मूलवाद के निर्णय तक के लिये प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण सं. 1 से 12 के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण सं. 1 से 10 तक प्रार्थना पत्र के पद सं. 3 से 6 में वर्णित प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 से 10 तक की वादग्रस्त भूमि ए, बी, सी, डी को बिना विधिवत बंटवाडा कराये व दर्ज गलत इन्द्राज के आधार पर किसी अन्य बैचान, वसीयत, बख्शीश वगैरा से हस्तान्तरण नही करे तथा वादग्रस्त भूमि मे स्थित प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि से अप्रार्थीगण सं. 1 से 10 न तो स्वयं दखलअन्दाजी करे तथा न ही अपने हाली एजेन्ट, नौकर, मजदूर, रिश्तेदार परिवार के सदस्य भू–माफिया किराये के गुण्डों वगैरा से ही कोई दखलअन्दाजी करावे इसके साथ ही अप्रार्थी सं. 12 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो अप्रार्थीगण सं. 1 से 10 के द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि ए से डी पर कराये जाने वाले हस्तान्तरण का पंजीयन नहीं करे तथा न ही ऐसे हस्तान्तरण के आधार पर राजस्व रेकर्ड में किसी भी प्रकार का रद्दोबदल करे तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी स. 4 से 10 की ओर से कोई भी उपस्थित नही होने पर दिनांक 20.07.2021 को अप्रार्थी सं. 4 से 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से बाद सम्मन तामिल सरकारी पैरोकार उपस्थित तथा अप्रार्थी संख्या 12 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नही है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि पद संख्या 1 प्रार्थना पत्र सही है। पद संख्या 2 प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वयं साबित करें। पद संख्या 3 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 7/3 रकबा 1.2863 हैक्टेयर जरूर आयी हुयी है. लेकिन इस पद में वर्णित भूमि प्रार्थी की पैतृक नहीं है। कि पद संख्या 4 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 38/2 रकबा 1.9416 हेक्टेयर खसरा नम्बर 38/3 रकबा 0.8090 हैक्टेयर जरूर आयी हुयी है, लेकिन इस पद में वर्णित भूमि प्रार्थी की पैतृक नहीं है। पद संख्या 5 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 2.1519 हेक्टेयर जरूर आयी हुयी है. लेकिन इस पद में वर्णित भूमि प्रार्थी की पैतृक नहीं है। पद संख्या 6 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 7/2 रकबा 2.1519 हेक्टेयर जरूर आयी हुयी है. लेकिन इस पद में वर्णित भूमि प्रार्थी की पैतृक नहीं है। पद संख्या 7 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम बीनादात तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 7/3 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा 10 विस्वाशी आयी हुयी थी। उक्त भूमि श्रवणभारती, भंवरभारती पिसरान गणेशभारती, श्रीमति मगनाई पत्नी गणेशभारती की खातेदारी की थी। खातेदार श्रवणभारती, भंवरभारती पिसरान गणेशभारती ने दिनांक 21.05.2004 को इस भूमि को जरिये रजिस्ट्री श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी सताराम जाति जाट निवासी बीनावास तहसील बिलाड़ा को बैचान कर दिया था, उस वैचाननामें का सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा द्वारा दिनांक 21.05.2004 को पंजीयन किया गया था। उस रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में श्रीमती प्रेमदेवी को इस भूमि का खातेदार दर्ज कर दिया, तत्पश्चात् खातेदार श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी सताराम जाति जाट ने दिनांक 01.06.2004 को इस भूमि को जरिये रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या 4 श्रीमती हीरादेवी पत्नी हरसुखराम जाति विश्नोई निवासी बीनावास तहसील बिलाड़ा को वैचान कर दिया था, उस वैचाननामें का सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा द्वारा दिनांक 01.06.2004 को पंजीयन किया गया था, उस रजिस्टर्ड वैचान के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 4 श्रीमती हीरादेवी को इस भूमि का खातेदार दर्ज कर दिया। उसके बाद अप्रार्थी संख्या 4 श्रीमती हीरादेवी ने अपनी खरीदसुदा भूमि का वैचान करने हेतु अपने पति हरसुखराम को आम मुख्त्यार नियुक्त किया, जो आम मुख्त्यारनामा दिनांक 20.03.2009 को नोटेरी पब्लिक से तस्दीकसुदा है। उन्ही प्रदत् अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्री हरसुखराम ने दिनांक 06.04.2009 को इस भूमि को जरिये रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या 3 जगदीश को वैचान कर दिया गया, उस वैचाननामें का सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा द्वारा दिनांक 06.04.2009 को पंजीयन किया गया, उक्त रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 3 जगदीश को इस भूमि का खातेदार दर्ज कर दिया गया। तब से इस भूमि पर कब्जा काश्त अप्रार्थी संख्या 3 का चला आ रहा है। इस प्रकार भूमि खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

7/3 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि अप्रार्थी संख्या 3 की खरीदसुदा एवं स्वअर्जित भूमि है। वादग्रस्त भूमि न तो पैतृक सम्पति है तथा न ही प्रार्थी का इस भूमि पर कभी कब्जा काश्त है एवं न ही विवादग्रस्त सम्पति सयुक्त आय की है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 7/3 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा 10 विस्वांशी का अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी होने से इसका उपयोग व उपभोग करने का पुरा अधिकार है। प्रार्थी का इस भूमि से कोई संबंध नही है। पद संख्या 8 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 38 रकबा 40 बीघा आयी हुयी थी। उक्त भूमि इन्द्रसिह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी बीनावास तहसील बिलाड़ा की खातेदारी की थी। खातेदार इन्द्रसिंह ने दिनांक 24.08.2007 को इस भूमि को जरिये रजिस्ट्री जयराम पुत्र खीयाराम जाति विश्नोई निवासी तिलवासनी तहसील पीपाड़शहर को बैचान कर दिया था, उस बैचाननामें का सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा द्वारा दिनांक 24.08.2007 को पंजीयन किया गया था। उस रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में जयराम को इस भूमि का खातेदार दर्ज कर दिया, तत्पश्चात् खातेदार जयराम पुत्र खीयाराम जाति विश्नोई निवासी तिलवासनी ने दिनांक 21.02.2011 को इस भूमि को जरिये रजिस्ट्री हरसुखराम पुत्र मोतीराम जाति विश्नोई निवासी बीनावास तहसील बिलाड़ा को वैचान कर दिया था. उस वैचाननामें का सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा द्वारा दिनांक 21.02.2011 को पंजीयन किया गया था. उस रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर म्यूटेशन संख्या 1032 स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में हरसुखराम को इस भूमि का खातेदार दर्ज कर दिया। उसके बाद खातेदार हरसुखराम पुत्र मोतीराम जाति विश्नोई निवासी बीनावास तहसील बिलाड़ा ने दिनांक 17.06.2014 को इस भूमि का वसीयतनामा अप्रार्थी संख्या 2 नेताराम पुत्र हरसुखराम के पक्ष में लिखकर दे दिया। उस वसीयतनामे को सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा द्वारा दिनांक 17.06.2014 को पंजीयन किया गया। खातेदार हरसुखराम को अपनी खरीदसुदा, स्वअर्जित भूमि को वसीयत करने का पूरा अधिकार निहित था। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 38/2 रकबा 1.9416 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38/3 रकबा 0.8090 हैक्टेयर पर कब्जा व काश्त अप्रार्थी संख्या 2 नेताराम का चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि न तो पैतृक सम्पति है तथा न ही प्रार्थी का इस भूमि पर कभी कब्जा काश्त है एवं न ही विवादग्रस्त सम्पति संयुक्त आय की है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 38/2 रकबा 1.9416 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38/3 रकबा 0.8090 हैक्टेयर का अप्रार्थी संख्या 2 को उपयोग व उपभोग करने का पुरा अधिकार है। प्रार्थी का इस भूमि से कोई संबंध नहीं है। पद संख्या 9 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा आयी हुयी थी। उक्त भूमि चन्द्रभारती पुत्र देवाभारती जाति गोस्वामी निवासी बीनावास तहसील बिलाड़ा की खातेदारी की थी। खातेदार चन्द्रभारती ने दिनांक 16.11.1993 को इस भूमि को जरिये रजिस्ट्री हरसुखराम पुत्र मोतीराम जाति विश्नोई निवासी बीनावास तहसील बिलाड़ा को वैचान कर दिया था, उस. वैचाननामें का सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा द्वारा दिनांक 16.11.1993 को पंजीयन किया गया था। उस

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर म्यूटेशन संख्या 399 स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में हरसुखराम को इस भूमि का खातेदार दर्ज कर दिया। उसके बाद खातेदार हरसुखराम पुत्र मोतीराम जाति विश्नोई निवासी बीनावास तहसील बिलाड़ा ने दिनांक 01.08.2012 को इस भूमि का बख्शीशनामा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 नेताराम,जयरीलाल, जगदीश पिसरान हरसुखराम जातियान विश्नोई निवासीगण बीनावास तहसील बिलाड़ा के पक्ष में लिखकर दे दिया। उस बख्शीशनामे को सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा द्वारा दिनांक 01.08.2012 को पंजीयन किया गया तब से इस भूमि पर कब्जा व काश्त अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का चला आ रहा है। इस प्रकार भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को जरिये बख्शीश से प्राप्त हुई है, जो अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की स्वअर्जित भूमि है। वादग्रस्त भूमि न तो पैतृक सम्पत्ति है तथा न ही प्रार्थी का इस भूमि पर कभी कब्जा काश्त है एवं न ही विवादग्रस्त सम्पति संयुक्त आय. की है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा का अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को उपयोग व उपभोग करने का पुरा अधिकार है। प्रार्थी का इस भूमि से कोई संबंध नहीं है। पद संख्या 10 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 7/2 रकबा 13 बीघा 06 बिरवा आयी हुयी थी। उक्त भूमि श्रवणभारती, भंवरभारती पिसरान गणेशभारती, श्रीमति मगनाई पत्नी गणेशभारती की खातेदारी की थी। खातेदार श्रवणभारती, भंवरभारती पिसरान गणेशभारती, मगनाई बेवा गणेशभारती ने दिनांक 21.05.2004 को इस भूमि को जरिये रजिस्ट्री श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी सताराम जाति जाट निवासी बीनावास तहसील बिलाड़ा को वैचान कर दिया था, उस वैचाननाने का सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा द्वारा दिनांक 21.05.2004 को पंजीयन किया गया था। उस रजिस्टर्ड वैचान के आधार घर म्यूटेशन स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में श्रीमती प्रेमदेवी को इस भूमि का खातेदार दर्ज कर दिया, तत्पश्चात् खातेदार श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी सताराम जाति जाट ने दिनांक 01.06.2004 को इस भूमि को जरिये रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या 4 श्रीमती हीरादेवी पत्नी हरसुखराम जाति विश्नोई निवासी बीनावास तहसील बिलाड़ा को बैचान कर दिया था. उस बैचाननामें का सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा द्वारा दिनांक 01.06.2004 को पंजीयन किया गया था, उस रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 4 श्रीमती हीरादेवी को इस भूमि का खातेदार दर्ज कर दिया। उसके बाद अप्रार्थी संख्या 4 श्रीमती हीरादेवी ने अपनी खरीदसुदा भूमि का बैचान करने हेतु अपने पति हरसुखराम को आम मुख्त्यार नियुक्त किया, जो आम मुख्त्यारनामा दिनांक 20.03.2009 को नोटेरी पब्लिक से तस्दीकसुदा है। उन्ही प्रदत् अधिकारों का प्रयोग करते हुये श्री हरसुखराम ने दिनांक 06.04.2009 को इस भूमि को जरिये रजिस्ट्री अप्रार्थी संख्या 1 जवरीलाल को बैचान कर दिया गया, उस बैचाननामें का सब रजिस्ट्रार बिलाड़ा द्वारा दिनांक 06.04.2009 को पंजीयन किया गया, उक्त रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर म्यूटेशन स्वीकृत किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 जवरीलाल को इस भूमि का खातेदार दर्ज कर दिया गया। तब से इस भूमि पर कब्जा काश्त अप्रार्थी संख्या 1 का चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि न तो पैतृक

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सम्पति है तथा न ही प्रार्थी का इस भूमि पर कभी कब्जा काश्त है एवं न ही विवादग्रस्त सम्पति संयुक्त आय की है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 7/2 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा का अप्रार्थी संख्या 1 की खरीदसुदा भूमि व खातेदार होने से उपयोग व उपभोग करने का पुरा अधिकार है। प्रार्थी का इस भूमि से कोई संबंध नहीं है। पद संख्या 11 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 7ध्3, 38ध्2, 38ध्3, 7. 7ध्2 न तो प्रार्थी की पैतृक सम्पति है तथा न ही प्रार्थी का इस भूमि पर कोई कब्जा काश्त ही है तथा न ही विवादग्रस्त सम्पति सयुक्त आय की है। उपरोक्त विवादित भूमि हीरादेवी पत्नी हरसुखराम, हरसुखराम पुत्र मोतीराम जी की खरीदसुदा स्वअर्जित सम्पति है, जिसे वैचान, बख्शीश, वसीयत आदि करने का पूरा पूरा अधिकार खातेदार हीरादेवी तथा हरसुखराम में निहित था। प्रार्थी का विवादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नही है। प्रार्थी का विवादग्रस्त भूमि में जब कोई अधिकार ही नही है तो प्रार्थी को घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र लाने का कोई अधिकार नही है। पद संख्या 12 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की स्वअर्जित भूमि में प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नही है। विवादग्रस्त भूमि पर न तो कभी प्रार्थी का कब्जा व काश्त रहा तथा न ही कभी भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 10 के मध्य आपसी सहमति से बंटवाड़ा हुआ है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र को पेश किया है। पद संख्या 13 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त भूमि न तो पैतृक सम्पति है तथा न ही संयुक्त आय की खरीदसुदा है। विवादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की स्वअर्जित सम्पति है। प्रार्थी का विवादग्रस्त भूमि में जब कोई अधिकार ही नही है तो प्रार्थी को बंटवाड़ा कराने का कोई अधिकार नहीं है। पद संख्या 14 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी को दिनांक 05.12.2019 को या कभी भी कोई धमकी अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा नही दी गयी है। प्रार्थी को इस भूमि में कोई अधिकार नहीं है। पद संख्या 15 से 16 प्रार्थना पत्र कानूनी है। पद संख्या 17 प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया दावा बहुत ही कमजोर आधार पर एवं झुठा दावा पेश किया है। जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। पद संख्या 18 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया केस नहीं बनता है तथा न ही तुलनात्मक सुविधा प्रार्थी के पक्ष में है। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णनीय क्षति नही होगी।

अप्राथी सं. 1 से 3 द्वारा अतिरिक्त कथन पेश किये जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 विवादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। अतः रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थी का विवादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा। अतः बिना कब्जे काश्त के प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी का दावा ही विधि अनुसार चलने योग्य नही है। प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज करने का आदेश फरमावे।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :–

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :– प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए मूल रूप से कथन किया कि राजस्व ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नंबर 7/3 रकबा 1.2863 हैक्टयर पूर्व में खातेदार भंवर भारती, श्रवण भारती पिता गणेश भारती कौम गुस्साई के नाम से खातेदारी दर्ज थी जिसे प्रेमदेवी पत्नी सताराम कौम जाट को बैचान की जिसे बाद में संयुक्त परिवार की आय से प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1से 10 तक द्वारा खरीद कर रजिस्ट्री प्रार्थी के पिता हरसुखराम व माता हीरादेवी के नाम करवाई। इसी प्रकार खसरा नंबर 38/2 रकबा 1.9416 हैक्टयर तथा खसरा नंबर 38/3 रकबा 0.8090 हैक्टयर पूर्व में जयराम पिता खीयाराम जाति विश्नोई निवासी तिलवासनी के नाम से दर्ज थी जिसे प्रार्थी के पिता हरसुखराम द्वारा प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि के अदला बदली में लेकर रजिस्ट्री प्रार्थी के पिता के नाम करवाई। इसी प्रकार खसरा नंबर 7 रकबा 2.1519 हैक्टयर पूर्व में चन्दू भारती पुत्र देवा भारती कौम स्वामी के नाम से दर्ज थी जिसे बाद में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 10 की संयुक्त परिवार की आय से खरीद कर रजिस्ट्री प्रार्थी के पिता हरसुखराम के नाम से करवाई। इसी प्रकार खसरा नंबर 7/2 रकबा 2.1519 हैक्टयर पूर्व में मंगबाई बेवा गुणेश भारती व अन्य कौम स्वामी के नाम से दर्ज थी जिसे बाद में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 से 10 द्वारा संयुक्त परिवार की आय से खरीद कर रजिस्ट्री प्रार्थी की माता हीरादेवी के नाम से करवाई। उक्त वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की आय से खरीद होने के कारण प्रार्थी का भी उपरोक्त खसरान की भूमि में अप्रार्थी सं. 1 से 10 के बराबर कानूनन हक व हिस्सा है। अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने जवाब के तथ्यों को दोहराया और मुख्य रूप से यह कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक संपति नहीं है। ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की सरहद में खसरा नंबर 7/3 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा 10 बिस्वांशी को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 21.05.2024 को प्रेमदेवी पत्नी सताराम जाति जाट निवासी बीनावास को बैचान की तथा बाद में खातेदार प्रेमदेवी पत्नी सताराम द्वारा दिनांक 01.06.2004 को जरिये रजिस्ट्री अप्रार्थी सं. 4 श्रीमति हीरादेवी पत्नी हरसुखराम जाति विश्नोई को बैचान की। उसके बाद अप्रार्थी सं. 4 हीरादेवी ने अपनी खरीदसुदा भूमि का बैचान करने हेतु अपने पति हरसुखराम को आममुख्त्यार नियुक्त किया जो आम मुख्त्यारनामा दिनांक 20.03.2009 को नोटेरी पब्लिक से तस्दीकसुदा है। उन्ही प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरसुखराम ने दिनांक 06.04.2009 को इस भूमि को जरिये रजिस्ट्री अप्रार्थी सं. 3 जगदीश को बैचान कर दिया। इसी प्रकार खसरा नंबर 38 रकबा 40 बीघा को इन्द्रसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत की थी जिसे जरिये रजिस्ट्री दिनांक 24.08.2007 को जयराम पुत्र खीयाराम को बैचान की गई। उक्त खसरे को खातेदार जयराम द्वारा दिनांक 21.02.2011 जरिये रजिस्ट्री हरसुखराम पुत्र मोतीराम जाति विश्नोई को बैचान की गई। खातेदार हरसुखराम पुत्र मोतीराम ने दिनांक 17.06.2014 को इस भूमि का

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

वसीयतनामा अप्रार्थी सं. 2 नेताराम पुत्र हरसुखराम के पक्ष में लिखकर दे दिया। उस वसीयतनामा को सब रजिस्ट्रार बिलाडा द्वारा दिनांक 17.06.2014 को पंजीयन किया गया। इसी प्रकार खसरा नंबर 7 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा जो चन्द्रभारती पुत्र देवाभारती जाति गोस्वामी निवासी बीनावास की खातेदारी थी जिसे बाद में खातेदार चन्द्रभारती ने दिनांक 16.11.1993 को इस भूमि को जरिये रजिस्ट्री हरसुखराम पुत्र मोतीराम को बैचान कर दिया था खातेदार हरसुखराम पुत्र मोतीराम ने दिनांक 01.08.2012 को इस खसरा नंबर 7 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा का बख्शीशनामा अप्रार्थी सं. 1 से 3 नेताराम, जंवरीलाल, जगदीश पिसरान हरसुखराम विश्नोई निवासी बीनावास के पक्ष में लिखकर दे दिया। उस बख्शीशनामें को सब रजिस्ट्रार बिलाडा द्वारा दिनांक 01.08.2012 को पंजीयन किया गया। इसी प्रकार खसरा नंबर 7/2 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा पूर्व में श्रवणभारती, भंवरभारती पिसरान गणेशभारती, श्रीमति मगनाई पत्नी गणेशभारती की खातेदारी की थी जिसे बाद में जरिये रजिस्ट्री दिनांक 21.05.2004 को प्रेमदेवी पत्नी सताराम को बैचान कर दिया। खातेदार प्रेमदेवी ने दिनांक 01.06.2004 को जरिये रजिस्ट्री हीरादेवी पत्नी हरसुखराम जाति विश्नोई निवासी बिनावास को बैचान कर दी। खातेदार हीरादेवी ने अपनी खरीदसुदा भूमि का बैचान करने हेतु अपने पति हरसुखराम को आम मुख्त्यार नियुक्त किया, जो आम मुख्त्यारनामा दिनांक 20.03.2009 को नोटरी पब्लिक से तस्दीकसुदा है। उन्ही प्रदत् अधिकारों को प्रयोग करते हुए हरसुखराम ने दिनांक 06.04.2009 को इस भूमि को जरिये रजिस्ट्री अप्रार्थी सं. 1 जवरीलाल को बैचान कर दिया। इस प्रकार खसरा नंबर 7/3, 38/2, 38/3, 7, 7/2 न तो प्रार्थी की पैतृक संपति है तथा न ही प्रार्थी का इस भूमि पर कोई कब्जा काश्त है। तथा न ही विवादग्रस्त सम्पति संयुक्त आय की है।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह सामने आया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता की स्वअर्जित संपति है ना कि पैतृक। राजस्व ग्राम बीनावास के खसरा नंबर 7/2 रकबा 2.1519 हैक्टयर जवरीलाल पुत्र हरसुखराम नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है इसी प्रकार खसरा नंबर 7/3 रकबा 1.2863 हैक्टयर जगदीश पुत्र हरसुखराम नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। किन्तु खसरा नंबर 7, खसरा नंबर 38/2 व खसरा नंबर 38/3 प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि पैतृक होने के आधार पर घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसका निर्धारण मूलवाद में होगा। न्यायिक दृष्टान्त 2021(2)डी.एन.जे.(रेवेन्यू) 997 मिश्रोदेवी बनाम सुभाष में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि वाद के निस्तारण तक सम्पति को संरक्षित रखना न्यायालय का कर्तव्य है। अगर पैतृक भूमि में से किसी प्रकार से बैचान, हस्तान्तरण, निर्माण कर लिया जाता है तो अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीया को हो जायेगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी सं. 1 व 10 के विरूद्ध वादग्रस्त

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कृषि भूमि कें रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थी संख्या 1 व 10 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो राजस्व ग्राम बीनावास तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नंबर 7/2 रकबा 2.1519 हेक्टयर व खसरा नंबर 7/3 रकबा 1.2863 हैक्टयर को छोडकर खसरा नंबर 38/2 रकबा 1.9416 हैक्टयर, खसरा नंबर 38/3 रकबा 0.8090 हैक्टयर, खसरा नंबर 7 रकबा 2.1519 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड की मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखे। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 3/7/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा